24-8-21

पत्रावली दिनांक 20.08.2021 का अवकाश होने से आज आज वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सी०पी०सी० पेश हुयी। वकील प्रार्थी प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सी०पी०सी० व वकील प्रार्थी मूल प्रार्थना पत्र उप०। पत्रावली में बहस पूर्व मे सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो को दोहरान करते हुए कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि की 2009 से 2030 तक की गिरदावरिया प्रार्थीगण के पूर्वजों के नाम से है। न्यायालय हाजा में घोषणा का वाद प्रस्तुत कर दिया गया है। प्रश्नगत भूमि मे प्रार्थीगण के मकानात बने हुये है. खातेदारान का केवल नाम ही दर्ज है जिस कारण उन्हे कोई आपत्ति नही है। प्रकरण मे मेरे व्यापक हित है. पक्षकार बनायें जाने पर विस्तृत जबाब दिया जायेगा। अत प्रकरण में आवश्यक पक्षकार हैं। अत. प्रार्थना पत्र प्रार्थी आदेश 1 नियम 10 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को बतौर अप्रार्थी संयोजित किया जावे। वकील प्रार्थी मूल प्रार्थना पत्र ने दौराने बहस जबाब प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों का दोहरान कर कथन किया कि प्रार्थीगण का इस प्रार्थना पत्र से कोई सरोकार नही है क्योंकि प्रार्थी प्रश्नगत भूमि में खातेदार / सहखातेदार नही है. यदि कब्जा 40–50 साल से है तो अभी तक दावा पेश नही किया. केवल प्रकरण मे देरीना करने के उददेश्य से प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। अत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें। बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड. दस्तावेजात का अवलोकन किया गया जिसके आधार पर यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रार्थी प्रश्नगत भूमि मे कोई खातेदार नही है. प्रश्नगत भूमि के खातेदार प्रार्थीगण को रास्ता देने हेतु सहमत है. मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) है जो एक संक्षिप्त कार्यवाही है। अत प्रथम दृष्टया प्रार्थना पत्र मे प्रार्थी को आवश्यक पक्षकार बनाये जाने सम्बन्धी कोई तथ्य पटल पर नही है। अत प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. अस्वीकार किया जाकर निर्णित किया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस प्रा0 पत्र0 251 (क) पत्रावली दिनांक 31/8/21 को पेश हो।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

31.8.2021, पत्रावली पेश हुई। [illegible] प्रार्थी उपस्थित। बहस [illegible] प्रार्थी [illegible] गयी। वकील प्रार्थी का कथन [illegible] की भूमि ख[illegible] न० 761, 762, 763, 764 के हम खातेदार है

— लगातार —

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.11.27 16:28:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

| हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|---|---|
| हमारी खातेदारी भूमि ख०नं० 761 के उत्तरी ओर सीमा/ओर अप्रार्थीगण की भूमि ख०नं० 760 है जिसमें चालू सड़क है। सड़क से हमारी भूमि ख०नं० 761 में आने जाने, कृषि कार्य हेतु संसाधन लाने ले जाने हेतु रास्ता दिया जाना अत्यंतिक आवश्यक है। मौके पर अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अतः रास्ते के संबंध में तहसीलदार नीमकाथाना से रिपोर्ट मंगवाई जाना आवश्यक है। खातेदार भी रास्ता दिये जाने पर सहमत है।<br><br>वकील प्रार्थी को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। धारा 251(क) रा.का.अधि. में वर्णित प्रावधानों अनुसार तहसीलदार नीमकाथाना से मौका रिपोर्ट मंगवाई जाना उचित है। अतः तहसीलदार नीमकाथाना से तीनों बिन्दुओं पर रिपोर्ट मय नक्शा टिप्पणी सहित निम्नवत हेतु तहरीर जारी हो। इन्तजार रिपोर्ट पत्रावली दिनांक 6/9/2021 को पेश हो।<br>(हस्ताक्षर)<br><br>6/9/2021 वकुलाय उप०। बहस सुनी गयी। बास्ते निर्णय पत्रावली दि० 14/9/2021 को पेश हो।<br>(हस्ताक्षर)<br><br>14/9/2021 वकुलाय उप०। प्रा०पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया एवं खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली [illegible] पूरा होकर नम्बर से [illegible] दाखिल है।<br>(हस्ताक्षर)<br><br>(बृजेश कुमार)<br>उपखण्ड अधिकारी<br>नीमकाथाना (सीकर) | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.11.27 16:28:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner